श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, वित्त मंत्री का वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए सभा में दिनांक 18 फरवरी, 2002 को दिया गया बजट-भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं झारखण्ड राज्य का वित्तीय वर्ष 2002-2003 का पूर्ण आय-व्ययक अनुमान माननीय सदस्यों के विचारार्थ इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में झारखण्ड राज्य की प्रथम विधान सभा ने, राज्य के प्रथम बजट में 70.01 करोड़ रु. का सरप्लस बजट पारित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। इस परम्परा को कायम रखते हुए वर्ष 2002-03 के बजट प्राक्कलन में भी तेईस करोड़ उनहत्तर लाख रु. के सरप्लस बजट का अनुमान है। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि झारखण्ड राज्य उन राज्यों में से है, जिसकी राज्य योजना में प्राक्कलित बजट प्रावधान, केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशि से दुगुने से भी अधिक है। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में जहाँ हमने एक ओर राज्य के आर्थिक संसाधन जुटाने वाले विभागों के कार्य-कलापों का प्रभावी अनुश्रवण कर उन्हें प्रभावी बनाने की दिशा में कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों से जुड़े विभागों को भी उनके कार्य हेतु समुचित राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-02 में राज्य सरकार के करों से अनुमानित प्राप्ति 2035.95 करोड़ रु. है जबकि आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 में राज्य सरकार के करों से अनुमानित प्राप्ति 2276.19 करोड़ रु. है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-02 में कुल प्राप्तियाँ 7236.61 करोड़ रु. की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 में कुल प्राप्तियाँ 9219.12 करोड़ रु. अनुमानित है। इसी प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-02 के अनुमानित व्यय 7174.12 करोड़ की तुलना में 2002-03 में कुल व्यय 9411.29 करोड़ रु. प्रस्तावित है, साथ ही वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए 215 करोड़ रु. का अथ शेष (Opening Balance) भी उपलब्ध है। इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 में भी राज्य का बजट सरप्लस का है।

राज्य के लिए संसाधन जुटाने के साथ-साथ हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जन साधारण पर कर का बोझ कम किया जाये। आप अवगत हैं कि विगत एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कतिपय जनोपयोगी वस्तुएँ, यथा, चावल, दाल, आटा, मैदा, चोकर, सूजी, आलू, प्याज, लालटेन के शीशे एवं चिमनी, पावरोटी, अगरबत्ती एवं धूप को पूर्णतः कर-मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक वस्तुओं यथा, दवा, खाद, सरसों तेल, रेपसीड तेल एवं इनके मिश्रण एवं छाता पर से अतिरिक्त कर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इसके बाबजूद भी हमारा वाणिज्य कर राजस्व, जो आन्तरिक संसाधन का लगभग 70 प्रतिशत है, उसमें विगत वर्ष की तुलना में लगभग 34.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि हमारी सरकार द्वारा चलाये जा रहे बिक्री-कर सुधारों का परिमाण है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 के बजट में राज्य सरकार ने राज्य की प्रगति हेतु विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, उद्योगों का विकास, आधारभूत संरचना में सुधार तथा राज्य में विधि-व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। इन सबका विस्तृत उल्लेख आगे किया जा रहा है।

राज्य के प्रादुर्भाव के 15 महीनों में पुलिस बल का आधुनिकीकरण कर, सरकार ने आतंकवादी एवं उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की छाया इस राज्य को भी अब प्रभावित कर रही है। आतंकवाद एवं उग्रवाद को रोकने के लिये हमारा संकल्प और दृढ़ हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में अगले वित्तीय वर्ष में पुलिस आधुनिकीकरण के लिये 89.50 करोड़ रु. का प्रावधान प्रस्तावित है। कारा के सुदृढ़ीकरण एवं उसमें बन्दियों के लिये सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त वार्डों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण एवं जैमर आदि लगाने पर करीब 25.51 करोड़ रु. की योजनाएँ प्रस्तावित हैं।

राज्य की विधि-व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था में अतिक्ति बल मुहैया कराने के लिये झारखंड गृह रक्षा वाहिनी का पुनर्गठन किया गया है एवं पूर्ववर्ती बिहार राज्य में विगत 12-13 वर्षों से ठप्प हो गई प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावकारी तरीके से पुनर्जीवित करने हेतु झारखंड गृह रक्षा वाहिनी हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धुर्वा, राँची की स्थापना की गई है। गृह रक्षा वाहिनी के सुदृढ़ीकरण के लिये 9.63 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। अग्नि-शामालयों को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2002-03 में 2.90 करोड़ रु. की लागत पर आधुनिक अग्निशामक यंत्रों का क्रय प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2002-03, चूँकि दशम पंचवर्षीय योजना का प्रथम प्रारम्भिक वर्ष है, अतः कल्याण विभाग समाज के कमजोर वर्गों, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, आदिम जन जाति, पिछड़े वर्गों एव अल्प संख्यकों के चतुर्दिक विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 में विभिन्न कोटि के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति वितरण की परंपरागत योजना को चालू रखा जाएगा। इस क्रम में राज्य से बाहर तकनीकी एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को ट्यूशन फीस देने की योजना प्रारंभ की गयी है और यह अगले वित्तीय वर्ष में भी लागू रहेगी। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर विभिन्न तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति की दर 425/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/- रु. प्रतिमाह कर दी जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि के समय पर विमुक्ति एवं भुगतान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कल्याण विभाग द्वारा बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी कैम्पस में एक युनिवर्सिटी पोलिटेक्निक का संपोषण किया जा रहा है और इस वर्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के 60 छात्रों का नामांकन डिप्लोमा के दो पाठ्यक्रमों के लिए किया गया है। आगामी वर्ष में पाठ्यक्रमों की संख्या 4 हो जाएगी और 100 छात्रों के दूसरे बैच का नामांकन किया जाएगा।

स्वरोजगार एवं रोजगार के क्षेत्र में कमजोर वर्गों को सक्षम बनाने हेतु कोचिंग की योजना को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

अनुसूचित जन जातियों में भी अति पिछड़े 9 आदिम जनजातियों के कल्याण की विशेष योजना बनायी गयी है। इनके लिए दुर्घटना बीमा की योजना शुरू की गयी है, जो अगले वित्तीय वर्ष में भी लागू रहेगी। आदिम जन जातियों के लिए शत-प्रतिशत अनुदान पर विशेष आवास योजना भी प्रारंभ की गयी है। प्रति आवास 56,000/- रु. की लागत से 2056 आवास बनाने हेतु राशि विमुक्त कर दी गयी है। वर्तमान वर्ष में 6,000 आवास बनाने का लक्ष्य है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना को और सुदृढ़ता के साथ चलाने की योजना है। पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय की चालू योजना को अगले वर्ष में भी जारी रखा जाएगा। भारत सरकार से प्राप्त विशेष सहायता की राशि से आदिम जन जातियों के विकास हेतु उनके पोषण, स्वास्थ्य केयर, आर्थिक क्रिया-कलापों एवं प्राथमिक शिक्षा की विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

झारखंड जनजातीय शोध संस्थान, राँची के पुनर्गठन एवं अगले वर्ष में इसे स्वायत्तशासी निकाय बनाने का प्रस्ताव है ताकि यह संस्थान जन जातीय शोध और जन जातीय संस्कृति आदि के संरक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

समाज के कमजोर वर्गों की योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है। एस. सी. ए. - टी.एस.पी. की केन्द्रीय राशि का 70 प्रतिशत आयोत्पादक योजनाओं में और 30 प्रतिशत आधारभूत संरचना विकास की योजनाओं में व्यय किया जाता है। संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि को छात्रावासों के निर्माण में उपयोग किया जा रहा है जो राज्य योजना मद की राशि का पूरक है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है.

कल्याण विभाग के कार्यों हेतु कुल 383.61 करोड़ रु. का बजट प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रस्तावित है।

राज्य सरकार, समाज कल्याण क्षेत्र को भी प्राथमिकता दे रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण क्षेत्र की चालू योजनाओं के अतिरिक्त गिरिडीह, सरायकेला तथा सिमडेगा में नेत्रहीन विद्यालय की स्थापना के लिए भवन निर्माण की कार्रवाई की गयी है। चार जिलों, यथा हजारीबाग, धनबाद, चाईबासा एवं जमशेदपुर में सम्प्रेषण गृहों के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है तथा उसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में पाँच करोड़ रु. राशि का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में समाज के उपेक्षित, कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 37.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार के बच्चों के शैक्षणिक एवं शारीरिक विकास हेतु मेडिकल किट्स, प्री- स्कूल किट्स, इनोवेटिव योजना, किशोरी शक्ति योजना के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का उत्थान, हमारी विकास योजनाओं की प्राथमिकता है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 28,391 बेरोजगारों को रोजगार मुहैय्या कराया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत केन्द्रांश रुप में 57.45 करोड़ रु. तथा राज्यांश के रूप में 23.57 करोड़ रु. के प्रावधान का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्र में जल छाजन योजना के अन्तर्गत सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र में जल संसाधन का विकास एवं प्राकृतिक संतुलन बनाकर ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत 12 जिलों को सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र घोषित कर डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत जल-छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अन्य जिलों में समेकित बंजर भूमि विकास के तहत जलछाजन कार्यक्रम कार्यान्वित कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिये इस योजना हेतु केन्द्रांश के रूप में 36.00 करोड़ रु. एवं राज्य योजना के अन्तर्गत 12.00 करोड़ रु. का लक्ष्य है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले ग्रामीणों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिये वर्ष 2002-2003 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के साथ खाद्यान्न सुरक्षा तथा स्थायी सामुदायिक, सामाजिक, आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन एवं इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना है। वर्ष 2002-2003 के लिये इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 298 करोड़ रु. तथा राज्य योजना के अन्तर्गत 99.49 करोड़ रु. व्यय करने का लक्ष्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये 121.00 करोड़ रु., न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 302.17 करोड़ रु., जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत सड़कों पर पुल पुलिया निर्माण कराने के लिये 190 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष 2002-2003 में पथ निर्माण विभाग की कुल 5,400 कि. मी. पथ में लगभग 1,500 कि. मी. लम्बे पथांश के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य करने का प्रस्ताव है। 58 पुल/पुलियों के निर्माण हेतु भी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्य में रेल यातायात हेतु प्राथमिकता के आधार पर नई रेलवे लाईन बिछाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। रेल मंत्रालय के साथ हुए समझौते के अनुसार निम्नलिखित मार्गों पर नई रेलवे लाईन बिछाई जायेगी।

1. राँची-बरकाकाना - हजारीबाग - कोडरमा नई रेल लाइन।
2. राँची - लोहरदगा छोटी लाइन का अमान परिवर्तन कर टोरी तक विस्तार।
3. देवघर - दुमका के बीच 60 कि. मी. रेल लाइन।
4. दुमका - रामपुर हाट के बीच 65 कि. मी. रेल लाइन।
5. कोडरमा - गिरीडीह के बीच 105 कि. मी. लम्बी नई रेल लाइन का निर्माण, तथा
6. कोडरमा रेल लाइन का तिलैया तक विस्तार।

इस परियोजना पर अगले पाँच वर्षों में लगभग 2,000

करोड़ रु. राशि का व्यय होगा। इस व्यय की 2/3 राशि झारखण्ड सरकार तथा 1/3 राशि रेलवे मंत्रालय द्वारा वहन की जायेगी। सरकार द्वारा इस हेतु प्रथम किस्त के रूप में भुगतान की जाने वाली 250 करोड़ रु. राशि का उपबंध तृतीय अनुपूरक आगमन में प्रस्तावित है।

झारखंड राज्य के प्रमुख रेलवे क्रॉसिंग पर अनावरुद्ध यातायात हेतु 27 रेलवे ओवर ब्रीज बनाने की योजना का प्रस्ताव रेल विभाग के परामर्श द्वारा तैयार किया गया है। इनका शीघ्र कार्यान्वयन कराया जायेगा और इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रु. का भुगतान रेल मंत्रालय को किये जाने का प्रस्ताव है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने हेतु अभियंत्रण परामर्शियों का चयन किया गया है। चयन किये गये परामर्शियों से झारखण्ड के विभिन्न पथों एवं पुलों का विस्तृत अभियंत्रण एवं डी.पी.आर. तैयार कराया जा रहा है ताकि सरकार के पास सेल्फ ऑफ स्कीम्स रहे। इन योजनाओं का कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष में कराने की योजना है वर्तमान में ऐसी 79 पथ योजनाएँ एवं 68 पुल योजनाओं का डी.पी.आर. परामर्शियों द्वारा तैयार किया जा रहा है।

कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर एवं केन्द्रीय स्तर के प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता की जाँच हेतु सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध रहेंगे।

कार्य की गुणवत्ता एवं सफल कार्यान्वयन हेतु पथ एवं पुल योजनाएँ, जो 2.5 करोड़ रु. से ऊपर की हैं, को दो लिफाफा पद्धति टेक्निकल बीड, फिनांशियल बीड के आधार पर किया जा रहा है।

राज्य सरकार, राज्य के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मरम्मती संपोषण के अतिरिक्त कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है यथा - (1) 100 अदद उच्च प्रवाही नलकूप (जलमीनार सहित) निर्माण की योजना (2) गोड्डा, लोहरदगा एवं गुमला जिले में शेष बचे अनाच्छादित एवं आंशिक आच्छादित टोलों का पूर्ण आच्छादन कार्यक्रम (3) माननीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रति पंचायत 3 अदद नलकूप का निर्माण (4) राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, आंगनबाड़ी तथा इन्दिरा आवास में नलकूप द्वारा जलापूर्ति (5) राज्य में बंद पड़े नलकूपों के स्थान पर नये आधुनिक इण्डिया मार्क-3 नलकूप का निर्माण (6) पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वच्छ पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन हेतु स्वीडीश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी (सीडा) एवं यूनिसेफ की सहायता से निर्माणाधीन परियोजना (7) धनबाद जिला में जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन हेतु पायलट परियोजना (8) सड़े पाईप के कारण बंद नलकूपों का पाईप बदलकर चालू करना, आदि।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं एवं स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 100.20 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 62.50 करोड़ रु. तथा केन्द्रीय योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हेतु 7.50 करोड़ रु. का बजट उपबन्ध किया गया है। इस तरह वर्ष 2002-2003 के लिए कुल 17.20 करोड़ रु. बजट का प्रावधान जलापूर्ति एवं स्वच्छताधिष्ठापन कार्य हेतु किया गया है।

वर्ष 2002-2003 के लिए योजना मद में उर्जा विबाग के अन्तर्गत बोर्ड एवं निगमों के लिए कुल 150.00 करोड़ रु. का योजना उद्व्यय निर्धारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

संधारण	:	61.00 करोड़
वितरण	:	25.00 करोड़
ग्रामीण विद्युतीकरण	:	40.00 करोड़
तेनुघाट विद्युत निगम	:	15.00 करोड़
जल विद्युत निगम	:	05.00 करोड़
अपरम्परागत उर्जा स्रोत	:	02.00 करोड़

पत्रामर्शी एवं अन्य कार्य

नया तकनीक सहित	:	02.00 करोड़
योग	:	150.00 करोड़

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा झारखण्ड राज्य में वर्ष 2002-03 में 233/11 के. भी. के 18 अपूर्ण सब-स्टेशनों को पूरा करने का एवं 33 नये पावर सब-स्टेशन के निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए वर्ष 2002-03 में 61.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया जा रहा है। वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ करने के लिए 25.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

झारखण्ड राज्य में करीब 26,000 गाँवों में बिजली की सुविधा नहीं है। इनमें से वर्ष 2001-02 में 30.00 करोड़ रु. की राशि से 1,380 गाँवों को बिजली मुहैय्या कराने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में 40.00 करोड़ रु. का बजट उपबन्ध किया जा रहा है। उक्त उपबंधित राशि से 1,850 गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2006-2007 तक सभी गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

तेनुघाट विद्युत निगम

तेनुघाट विद्युत निगम के विस्तार हेतु 2 × 210 मेगावाट की दो उत्पादन इकाई पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वर्ष 2002-03 में 15.00 करोड़ रु. का बजट उपबंध किया जा रहा है।

तेनुघाट विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन के अलावा, उस क्षेत्र में सामाजिक कल्याण योजना के अन्तर्गत स्कूलों को शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक माह सहायता राशि एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधा एवं चलन्त मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है।

जल विद्युत निगम

वर्ष 2001-02 में सरकार जल विद्युत परियोजना द्वारा जालीमघाघ, निन्दीघाघ, तेनुबोकारो, सदनी एव चांडिल परियोजना को पूरा करने जा रही है, जिस पर 53.95 करोड़ रु. खर्च होने की सम्भावना है। वर्ष 2001-02 में इस परियोजना पर झारखण्ड सरकार 3.80 करोड़ रु. खर्च करने जा रही है। उक्त परियोजना के पूर्ण होने पर 10.40 मेगावाट विद्युत उत्पादन होने लगेगा।

वर्ष 2002-03 में झारखण्ड राज्य द्वारा 7 (सात) पुरानी परियोजनाओं के साथ-साथ 7 (सात) नई परियोजनाओं को भी तैयार करने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु 5.00 करोड़ रु. का बजट में उपबन्ध किया जा रहा है।

अपरम्परागत उर्जा स्रोत

झारखण्ड राज्य में अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत हेतु ज्रेडा का गठन किया जा चुका है। ज्रेडा द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना संस्थागत/मानव मल पर आधारित राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा परियोजना, बायोमास गैसीफायर, पोटोभेल्टाईक कार्यक्रम, सौर लैनटर्न, सौर घरेलू लाईट, पावर पैक निर्माण, सोलर थर्मल कार्यक्रम (सौर गरम पानी कार्यक्रम सौर कुकर), पवन पम्प, वार्षिक प्रतिवेदन/ प्रचार-प्रसार/ रेडियो/ टी.वी./विडियो फिल्म, समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम. को- जेनेरेशन, वायो एसेसमेंट कार्यक्रम एवं परियोजना पर भारत सरकार द्वारा भी राशि मुहैय्या कराई जाती है।

वर्ष 2002-2003 के लिए उक्त कार्यक्रम एवं परियोजना हेतु 2 करोड़ रु. का बजट उपबन्ध किया जा रहा है।

राज्य में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं सूचना तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखण्ड विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिषद् का गठन किया गया है, जिसके द्वारा वैज्ञानिक प्रक्षेत्र का कार्य कराया जाता है।

निजी क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों को स्थापित करने हेतु भी सरकार दृढ़ संकल्प है। उक्त कार्य हेतु ग्लोबल ऑफर के माध्यम से टेंडर प्राप्त किये गये हैं एवं उच्च स्तरीय समिति के माध्य से निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित ट्रस्ट/सोसाइटी का चयन किया जा रहा है।

राज्य में जी.आई.एस. रिमोट केन्द्र की स्थापना की जा रही है। जी.आई.एस. की स्थापना से राज्य का त्वरित

विकास संभव है। जी.आई.एस. के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों यथा खेती योग्य भूमि, वन, भूगर्भ के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी।

राँची में तारामंडल का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरु किया जायेगा। रिजनल साईंस सेंटर का कार्य नेशनल कौंसिल ऑस साईंस म्युजियम, कलकत्ता द्वारा कराया जा रहा है।

राज्य के छः जिलों में विज्ञान केन्द्र सह तकनीकी पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है जिससे छात्र एवं जनता को विज्ञान की जानकारियाँ जिला एवं ग्रामीण स्तर पर प्राप्त हो सके। धनबाद, देवघर, दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं चास (बोकारो) में निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है।

रुरल टेक्नोलॉजी पार्क हेतु राज्य के पाँच प्रखंडों यथा बेलतु, चन्दनकियारी, कोरो, लोहरदगा एवं बलियापुर में कार्य शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीणों एवं किसानों को आज के दिन प्रयुक्त होने वाले तकनीकी की जानकारियाँ दी जायेंगी।

बोकारो में मल्टीमिडिया कॉरीडोर की स्थापना हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। बोकारो में भूमि चयन की कार्रवाई की जा रही है। ग्लोबल ऑफर के माध्यम से निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों को आमंत्रित किया गया है।

सभी जिला मुख्यालयों में एवं राँची स्थित विभिन्न कार्यालयों में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार नीचे के स्तर से सीधे जानकारियाँ प्राप्त कर सकेगी। प्रशासन में कुशलता एवं शीघ्र निर्णय लेने में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में इस हेतु 6 करोड़ रु. की राशि खर्च होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा विशेष रूप से कम्प्यूटर साक्षरता वर्ष मनाया जा रहा है। बायो टेक्नोलॉजी पर भी विशेष कार्यक्रम चलाने हेतु सरकार कृत संकल्प है।

राज्य में औषधीय पौधों के रोपण का भी व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित है। बायोविलेज के रूप में गाँवों को चयनित किया जा रहा है तथा हार्वेरियम की भी स्थापना की जा रही है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी के उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु कुल 55 करोड़ रु. का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

राज्य में न्याय प्रक्रिया सुलभ कराने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा चतरा, पाकुड़, गढ़वा, लोहरदगा, कोडरमा, जामताड़ा, सरायकेला-खरसावां, लातेहार एवं सिमडेगा जिलों में सत्र न्यायालय की स्थापना की गई है।

झारखण्ड राज्य के सृजन के पश्चात राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि संथाल परगना एवं उसके सुदूरवर्त्ती इलाकों के लोगों को माननीय उच्च न्यायालय का लाभ सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सके, इसके लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से दुमका में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना पर राज्य सरकार अग्रेतर कार्रवाई कर रही है।

नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को कानून की बारीकियों, महत्ता, संचालन विधि आदि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक न्यायिक संस्थान की स्थापना झारखण्ड उच्च न्यायालय के परामर्श से की गयी है तथा इस संस्थान ने अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है।

झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-28 में वर्णित उपबंधों के अधीन 'झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 2001' बना ली गई है तथा प्राधिकार का भी गठन करने का निर्णय लिया जा चुका है। इससे राज्य की जनता को लोक अदालतों के माध्यम से शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सकेगा। न्याय प्रशासन हेतु कुल 48 करोड़ 45 लाख 85 हजार की राशि प्रस्तावित है।

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना चलायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2002-2003 के योजना मद में कुल 9.5 करोड़ रु. का अनुमानित व्यय है। इस राशि से स्थापना व्यय, अन्त्योदय अन्न योजना तथा उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय भवनों का निर्माण कार्य किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में भवन निर्माण विभाग हेतु 49.55 करोड़ रु. का बजट उपबंध किया गया है, जिसमें से चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभाग 20.00 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता होगी एवं बाकी 29.55 करोड़ रु. से नयी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से न्यायालय भवनों का निर्माण, विकास भवनों का निर्माण, राज्य अतिथिगृह, झारखण्ड भवन, परिसदन भवन, उपभोक्ता फोरम, पब्लिक सर्विस कमीशन भवन, लोकायुक्त कार्यालय एवं अन्य न्यायाधिकरणों के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

राज्य सरकार आम लोगों को स्वास्थ्य एवं उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य के सभी जिलों में अस्पताल प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है, जिसके द्वारा राज्य सरकार एवं जनता के वित्तीय सहयोग से जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा सुलभ करायी जायेगी। साथ ही, वहिर्वासी दैनिक मरीजों के दवा के लिए पूर्व निर्धारित राशि 85 पैसे से बढ़ा कर 5 रु. की गई है तथा अन्तर्वासी रोगियों के लिए पूर्व निर्धारित राशि 1.91 रु. से बढ़ाकर 10 रु. की गई है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर करने वाले असहाय लोगों के असाध्य रोग यथा कैंसर, हृदय, एड्स आदि की चिकित्सा हेतु 10 करोड़ रु. की लागत से राज्य बीमारी इलाज प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत् एक रोगी को अधिकतम 1.5 लाख रु. की सहायता दी जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में स्वास्थ्य विभाग हेतु कुल 396.57 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले असाध्य रोगियों को असाध्य रोग उपचार हेतु 15 करोड़ रु. की राशि, 6 करोड़ रु. की राशि सभी जिलों के जिला अस्पताल को विकसित करने एवं उत्क्रमित करने हेतु, 3 करोड़ रु. अनुमंडलीय अस्पतालों को विकसित एवं उत्क्रमित करने हेतु, 6.10 करोड़ रु. रेफरल अस्पतालों के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण हेतु, 1.60 करोड़ रु. की लागत से जिला सदर अस्पतालों में रक्त अधिकोष की स्थापना हेतु, एक करोड़ रु. की लागत से सभी जिला सदर अस्पतालों में नेत्र क्लिनिक का प्रावधान एवं विकास के लिए, 3.32 करोड़ रु. की लागत से आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक अस्पताल की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु सम्मिलित है।

चिकित्सा शिक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 35.75 करोड़ रु. की योजनाओं में संधारण के साथ, मुख्यतः राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी विभागों की स्थापना के अगले क्रम में न्यूरोसाइन्सेज, पेडियाट्रिक, सर्जरी, सेन्ट्रल इमरजेन्सी, रिजनल कैंसर सेन्टर, रिजनल सेन्टर फोर औपथेलमोलॉजी की स्थापना तथा एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन तथा धनबाद में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माणाधीन 500 शैय्या वाले अस्पताल भवन को पूर्ण करने की योजना हेतु उपबंध किया गया है। रिनपास को शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित करने की भी योजना है तथा फार्मेसी इन्स्टीच्यूट को भी सुदृढ़ करने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 में जल संसाधन विभाग द्वारा 290.00 करोड़ रु. का योजना उद्व्यय कार्य मद के लिए प्रस्तावित है। इसमें निम्न योजनाओं को पूरा करने का कार्यक्रम निर्धारित है -

वृहद् सिंचाई परियोजना

(क) सुवर्णरेखा परियोजना
(चांडिल वॉया मुख्य नहर 78.59 कि.मी. तक)

(ख) अजय बराज योजना

मध्यम सिंचाई परियोजना

(क) सुरंगी जलाशय योजना

(ख) सोनुआ जलाशय योजना

(ग) कतरी जलाशय योजना

(घ) धनसिंह टोली जलाशय योजना

(ङ) कंसजोर जलाशय योजना

उपरोक्त योजनाओं के पूरा होने पर 74,330 हजार हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में लघु सिंचाई योजनाओं हेतु कुल 60.00 करोड़ रुपये का योजना उद्‌व्यय प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत अनेकानेक नया चेक जेम, माइक्रोलिफ्ट योजना, मध्यम सिंचाई योजना, 10 फीट एवं 20 फीट व्यास का नया कुँआ, बड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना एवं तालाबों तथा आहरों का निर्माण एवं पुनर्स्थापन का प्रस्ताव है। नयी योजनाओं से 10,975 हेक्टेयर एवं पुनर्स्थापन योजनाओं से 2,980 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त ग्राम भागीरथी योजना के माध्यम से 9,735 योजनाएँ तैयार कर 2,68,208 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजन हेतु कार्य कराने का प्रस्ताव है।

झारखण्ड राज्य के प्रत्येक प्रमण्डल में किसी एक छोटी नदी या नाला को रेखांकित कर चेक डैमों की एक श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम है। इनके निर्माण से भूमि संरक्षण के साथ-साथ सिंचाई एवं अन्य उपयोग हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस तरह के जल संग्रहण से किसानों में सिंचाई करने की प्रवृति बढ़ेगी।

झारखण्ड राज्य की धरोहर, यहाँ के वन हैं। आरक्षित वनों में वन संबंधित कार्य तथा सिल्वीकलचर ऑपरेशन के लिए 2.84 करोड़ रु. की राशि प्रस्तावित है।

भू-संरक्षण और वन रोपण के मद में 5.54 करोड़ रु. का प्रावधान है।

राज्य के अंल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के अनुदान हेतु कुल 46.15 करोड़ रु. की राशि का वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रावधान किया गया है। राज्य में शिक्षा के विकास हेतु सरकार कृत संकल्प है। इस हेतु उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना को चालू रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में अन्य 12 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा चालू करने हेतु 236 लाख रु. की व्यवस्था की जा रही है। उच्च विद्यालयों के जीर्णोद्धार/निर्माण हेतु कुल 22.00 करोड़ रु. की व्यवस्था योजना बजट में की जा रही है जिससे 232 उच्च विद्यालयों का भवन निर्माण/जीर्णोद्धार होगा। राज्य के विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृति योजना कुल 22.50 लाख की लागत पर प्रारम्भ की जा रही है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार 1.50 करोड़ रु. उपलब्ध करायेगी। इसी तरह सैनिक स्कूल, तिलैया को भवन निर्माण हेतु 2.50 करोड़ रु. का अनुदान तथा इन्दिरा गाँधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग को कुल 1.45 करोड़ रु. भवन निर्माण के मद में राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी।

झारखण्ड राज्य की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के आधार पर 54.13 प्रतिशत है जिसमें महिला साक्षरता की दर 39.38 प्रतिशत है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले तीन जिले पलामू, गोड्डा, एवं पाकुड़ जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की साक्षरता 10 प्रतिशत एवं सभी जाति की महिलाओं की साक्षरता 20 प्रतिशत है। इन तीन जिलों को विशेष प्रयास के तहत वित्तीय वर्ष 2002-03 में कुल 50 लाख रु. का व्यय प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान/शिक्षा गारंटी योजना

6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु ऐसे ग्राम/टोलों जहाँ से निकटतम प्राथमिक विद्यालय की दूरी एक किलोमीटर है, में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी है। पूरी योजना अवधि में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था से वंचित ऐसे टोले कुल 8,665 होंगे जहाँ शिक्षा गारंटी योजना के तहत वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना करनी होगी। इन वैकल्पिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें शिक्षण सामग्री, पठन-पाठन सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि पर कुल 70 करोड़ रु. का व्यय योजना अवधि में संभावित हैं। इसमें 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश होगा। राज्यांश के रूप में 17 करोड़ 50 लाख रु. का व्यय अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में उच्च शिक्षा विभाग हेतु एक अरब सैंतालीस करोड़ बहत्तर लाख पच्चीस हजार रु. का प्रावधान किया गया है।

कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा

राज्य में खेल के समुचित विकास हेतु तथा राज्य के युवा खिलाड़ियों को खेलों की आधुनिकतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करानें के उद्देश्य से हर जिले में स्टेडियम निर्माण के लिए नक्शे एवं प्राक्कलन प्राप्त कर लिये गये हैं तथा राँची, गुमला एवं लातेहार आदि जिलों में स्टेडियम निर्माण एवं विकास के कार्य प्रारम्भ भी कर दिये गये हैं। राँची, दुमका, साहेबगंज, हजारीबाग आदि जिलों में राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स के निर्माण हेतु भी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। राज्य में राष्ट्रीय सेवा कोर (एन.सी.सी.) के कार्यों में भी वृद्धि करने हेतु सरकार प्रयासरत है।

राज्य के छः क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की छात्रवृति छह सौ रु. से बढ़ाकर बारह सौ रु. प्रतिमाह कर दी गई है।

सांस्कृतिक कार्य के क्षेत्र में भी वर्षों से संचित सपनों को साकार करते हुए सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में धुमकुड़िया भवन निर्माण हेतु 2 (दो) एकड़ जमीन कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है जिस पर शीघ्र ही धुमकुड़िया भवन निर्माण का कार्य कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त हजारीबाग, दुमका, देवघर, राँची एवं पलामू में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना हेतु भी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में युवा कार्य, कला, संस्कृति एवं खेलकूद हेतु कुल 14.38 करोड़ रु. का योजना बजट का उपबंध किया जा रहा है।

झारखण्ड राज्य के सृजन के पश्चात् राज्य में उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। राज्य के सभी क्षेत्रों का अपेक्षित औद्योगिक विकास हो, इसके लिए विभिन्न जिलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है ताकि सुनियोजित ढंग से प्राकृतिक संपदाओं तथा मानव संसाधनों का भरपूर उपयोग एवं विकास करते हुए नियोजन के अवसर में वृद्धि की जा सके।

15 नवम्बर 2000 के बाद उत्पादन में आनेवाली इकाईयों के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहनों का समावेश किया गया है तथा पूँजी निवेश प्रोत्साहन के मद में 1 करोड़ रु. का बजटीय उपबंध वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रस्तावित है।

कैप्टिव उर्जा उत्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2002-03में 50.00 लाख रु. का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

ऋण पर अदा किए गए ब्याज के आधार पर ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में 2 करोड़ रु. का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

सम्भाव्यता अध्ययन-परियोजना प्रतिवेदन पर लागत प्रतिपूर्ति अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 25.00 लाख रु. का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में अभिलेखों के निबंधन के क्रम में विमुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2002-03 में 1 करोड़ रु. का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

प्रदूषण नियंत्रण एवं उर्जा संरक्षण हेतु 25.00 लाख रु. बजटीय उपबंध इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाते हुए उनके कार्य का वस्तुपुरक मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा वैसे उद्योगों को पुरस्कृत किए जाने हेतु इस वितीय वर्ष 2002-2003 में 5.00 लाख रु. का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

शहरी हाट के निर्माण की योजना के अन्तर्गत एक हाट की स्थापना संथाल परगना में भी किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में 1 करोड़ रु. के बजटीय उपबंध का प्रावधान प्रस्तावित है।

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एक चालू योजना है। राज्य में तीन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यथा - राँची, बोकारो, एवं आदित्यपुर में कार्यरत हैं। संथाल परगना क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए दुमका औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया जा रहा है। इन प्राधिकारों द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु शेड, भूखण्ड एवं आवश्यक आधारभूत संरचना उद्यमियों को उपलब्ध

कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 31.96 करोड़ रु. के बजट उपबंध प्रस्ताव है।

वाणिज्य कर विभाग

राज्य के राजस्व संग्रहण में वाणिज्य-कर की अहम् भूमिका है तथा राज्य के कुल कर संग्रहण का लगभाग 70 प्रतिशत वाणिज्यकर से आता है। वाणिज्य कर विभाग का वित्तीय वर्ष 2001-2002 का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 1,498.08 करोड़ रु. है जिसमें माह जनवरी 2002 तक का लक्ष्य 948.94 करोड़ रु. है। इसके विरुद्ध जनवरी 2002 का राजस्व संग्रह 908.57 करोड़ रु. है जो कि लक्ष्य का 95.75 प्रतिशत है। गत वित्तीय वर्ष में इसी आवधि में जनवरी 2001 कुल वसूली 680.82 करोड़ थी, जिसकी तुलना में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी 2002 तक की वसूली 33.45 प्रतिशत अधिक है।

इस वित्तीय वर्ष में 2001-2002 में आर्थिक मन्दी के बावजूद भी गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा जनवरी 2002 तक की अवधि में 33.45 प्रतिशत की अधिक कर की वसूली हुई है, जो एक अच्छा संकेत है।

राज्य में राजस्व संग्रहण को बढ़ाने तथा साथ ही, राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विगत एक वर्ष से बिक्री कर सुधार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विगत एक वर्ष में कतिपय जनोपयोगी वस्तुएँ यथा - गेहूँ, चावल, दाल, आटा, मैदा, चोकर, सूजी, आलू, प्याज, लालटेन के शीशे एवं चिमनी, पावरोटी, अगरबती एवं धूप को पूर्णतः करमुक्त कर दिया गया है। इससे आम जनता को काफी राहत मिली है।

साथ ही आवश्यक वस्तुओं यथा - दवा, खाद, सरसों तेल, रेपसीड तेल एवं इनके मिश्रण एवं छाता पर से अतिरिक्त कर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इससे आम जनता को काफी राहत मिली है और व्यापार विचलन भी रुका है।

विगत दिसम्बर 2001 में सम्पन्न विधान सभा के सत्र द्वारा झारखण्ड वित्त (संशोधन) अधिनियम 2001 में पारित किया गया है, जो दिनांक 02.01.2002 से राज्य में लागू हो गया है। यह संशोधन झारखण्ड राज्य औद्योगिक नीति 2001, राजस्व संग्रहण में वृद्धि एवं व्यवसायियों की दनि-प्रतिदिन की कठिनाईयों से राहत को ध्यान में रखकर किया गया है। इन संशोधनों में निश्चित रूप से राज्य में औद्योगिक विकास का माहौल बनेगा एवं राजस्व संग्रहण की वृद्धि के साथ-साथ, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

साथ ही साथ प्रवेशकर (संशोधन) अधिनियम 2001 भी पारित किया गया जो दिनांक 02.01.2002 से राज्य में लागू है। इससे भी व्यवसायियों की व्यवहारिक कठिनाईयाँ दूर होंगी एवं राजस्व की वृद्धि होगी।

विगत एक वर्ष में बिक्री कर सुधार के जो कार्य राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं, उससे आम जनता को लाभ होने के साथ-साथ कर-संग्रहण में भी वृद्धि हुई है। उदाहरणस्वरूप दवा एवं औषधि पर से एक प्रतिशत टी.ओ. टी. हटाये जाने के पश्चात् दवा एवं औषधि से आने वाले कुल राजस्व में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार मोटर वाहनों से अतिरिक्त कर घटाये जाने तथा वनस्पति एवं खाद्य तेल पर कर की दर घटाये जाने के पश्चात् भी इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले कुल कर संग्रहण में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार बिक्री-कर सुधारों को और आगे जारी रखेगी तथा आगामी 1 अप्रैल 2002 से निम्नलिखित वस्तुओं पर से करों की दर में संशोधन करेगी।

(क) कम्प्यूटर एवं सूचना तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर पर से वर्तमान में लागू 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर को हटाया जायेगा।

(ख) राज्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी प्रकार के आचार, भेजटेबल सूप, फलों के पल्प पर से वर्तमान में लागू 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर को हटा लिया जायेगा।

(ग) आम व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से साईकिल एवं रिक्शा के टायर ट्यूब पर वर्तमान में लागू 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर को हटा लिया जायेगा।

(घ) वनों पर आधारित उद्योग यथा पत्तल से बने थाली एवं

दोना, बाँस एवं बाँस से बने सामान (जिसमें कागज एवं अन्य सामग्री जिसमें बाँस के अलावा अन्य कोई रसायन को मिलाकर भिन्न सामान बनता हो, शामिल नहीं है) पर वर्तमान में लागू 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर को हटा लिया जाएगा।

(ङ) होजियरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्ष इस पर लागू बिक्री कर की दर में कमी की गई थी। अब इस पर द्वितीय एवं उसके परावर्ती प्रक्रम पर अतिरिक्त कर हटा लिया जाएगा।

(च) इसके अतिरिक्त माचिस, घड़ी तथा सोना एवं चाँदी एवं उसके जेवर पर सतही दर के समतुल्य कर की दर लागू कर दी जायेगी।

उपर्युक्त संशोधन दिनांक 01.04.2002 से लागू किए जाएंगे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि बिक्री कर की दरों में कमी लाकर भी कुल कर संग्रह में विगत वर्ष के मुकाबले काफी वृद्धि हुई है, जो कि बिक्री कर सुधार हेतु सरकार द्वारा की गई पहल के सकारात्मक पहलू को दर्शाता है।

अखिल भारतीय स्तर पर बिक्री कर सुधारों हेतु राज्य के वित मंत्रियों के सम्मेलन में दिनांक 01.04.2003 से वैट कर प्रणाली लागू करने का निर्षय लिया गया है। राज्य में इस नई कर प्रणाली को लागू करने के पूर्व राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर सभी संगठनों से विचार विमर्श करने का निर्णय लिया है ताकि समाज के सभी वर्गों, व्यवसायिक संगठनों. उद्योग तथा आम उपभोक्ता सभी को विश्वास में लेकर नई कर प्रणाली (वैट) को लागू किया जा सके।

नवगठित झारखण्ड राज्य एक खनिज बाहुल्य राज्य है। देश की लगभग 30 प्रतिशत खनिज सम्पदा इस राज्य को प्राकृतिक धरोहर के रूप में प्राप्त है। प्राईम कोकिंग कोल एवं यूरेनियम का भंडार केवल इस राज्य में ही है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में खनिजों के अन्वेषण हेतु 750 वर्ग कि.मी. एवं 2.50 वर्ग कि. मी. क्रमशः लघु एवं वृहत् मान चित्रण के साथ 150 नमूना संग्रह एवं 40 सेट ग्रेनाईट नमूना का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त भू-जल एवं भू-अभियंत्रण कार्य भी किया जाना है। सुदूर सम्वेदन केन्द्र, राँची का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, ताकि खनिज अन्वेषण में इसका लाभ अन्वेषण दल को मिल सके।

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा कोल बेड मिथेन गैस की खोज पर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठानों के साथ अनुबंध किया जा रहा है, ताकि यह ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत बन सके तथा राज्य को इससे सालाना अच्छी राजस्व की प्राप्ति भी हो सके। कोल बेड मिथेन अन्वेषण के उपरान्त इस पर आधारित औद्योगिक विकास की सम्भावना बढ़ेगी।

राज्य के बजट में जो प्रावधान किया जाते हैं, उनका सही एवं ससमय उपयोग कैसे हो, इस ओर भी राज्य सरकार जागरुक है। पूर्व में लागू वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं में 3 प्रमुख संशोधन हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं जो कि निम्नवत हैं -

(क) मंत्रिमंडल की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को यह शक्ति दी गयी है कि सभी नयी योजनाओं/स्कीमों जिनकी कुल लागत, अनावर्ती एवं आवर्ती. दोनों को मिला कर पाँच करोड़ तक हो तथा जिनकी आवर्ती लागत एक करोड़ रु. से अधिक न हो, उनकी स्वीकृति प्रशासी विभागीय स्तर पर ही दी सकेगी।

(ख) प्रधान महालेखाकार के परामर्श के आलोक में कोषागार से राशि की निकासी की वर्तमान व्यवस्था को भी सरल किया गया है तथा ऋण, अनुदान अथवा किसी कार्यालय की प्रथम स्थापना को छोड़ कर शेष मामलों में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है

(ग) पदाधिकारियों के सम्वर्ग विभाजन नहीं होने के कारण उत्पन्न कठिनाई के मद्देनजर पथ निर्माण विभाग एवं अन्य कई विभागों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु अनुभवी ब्राह्य परामर्शी (कन्सल्टेन्ट) रखने की व्यवस्था भी की गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2002-2003 में वित्तीय नियमों तथा सरकारी कार्यों की प्रक्रियाओं को और अधिक सरल

एवं कारगर बनाया जायेगा। इसके लिए कोषागार संहिता, वित्त नियमावली, पी. डब्लयू.डी. कोड एवं सचिवालय अनुदेश में आवश्यक संशोधन हेतु उच्चाधिकारियों की समिति गठित की जा चुकी है जो अन्य राज्यों एवं केन्द्र सरकार की भू सूचना प्राप्त कर झारखण्ड राज्य में वर्तमान में लागू नियमों में संशोधन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को देगी। इससे बजट में किये जा रहे प्रावधानों एवं सरकार की योजनाओं को त्वरित गति से लागू करने में सहायता मिलेगी।

आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 में राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 7,404.99 करोड़ रु. है जिसमें करेत्तर प्राप्तियाँ 941.07 करोड़ रु. अनुमानित हैं।

केन्द्रीय सरकार से आयकर, बुनियादी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों में राज्य का हिस्सा मदों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-02 में 1,895.20 करोड़ रु. की प्राप्ति अनुमानित है। केन्द्र सरकार से विभिन्न अनुदान भी प्राप्त होते हैं जिनमें प्रमुख हैं :- केन्द्र चालित स्कीमों के लिए अनुदान, योजना स्कीमों के लिए अनुदान, 11 वें वित आयोग की अनुशंसा पर अनुदान आदि। सहायक अनुदान मद में वर्ष 2002-2003 में 1,862.39 करोड़ रु. की प्राप्ति का अनुमान है।

पूँजीगत प्राप्तियाँ, जिनमें लोक ऋण तथा कर्जे एवं उधार शामिल हैं, के अन्तर्गत 1,749.24 करोड़ रु. का बजट अनुमान है। 2,410.49 करोड़ रु. की लोक लेखा प्राप्तियाँ आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित हैं तथा लोक लेखा व्यय 2,344.74 करोड़ रु. अनुमानित है। अतः लोक लेखे में 65.75 करोड़ रु. की बचत अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में कुल शेष बचत, यानी सरप्लस, 23.69 करोड़ रु. का होगा। ❑